मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

शुक्रवार, दिनांक 30 जुलाई, 2010 (श्रावण 8, 1932)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.33 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. जन्मदिन पर बधाई

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सदन की ओर से अध्यक्ष महोदय, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष, श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, श्री रत्नेश सॉलोमन एवं डॉ. कल्पना परूलेकर आदि सदस्यगण द्वारा बधाई दी गई।

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 21 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 171 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 188 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

3. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से सूचित किया गया कि नियम 267-क के अधीन लम्बित सूचनाओं में से 24 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज सदन में लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई है वे सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी। इन सभी सूचनाओं को उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जाएगा :-

(1) श्री अजय सिंह,सदस्य की सीधी के मझौली थाने की आदिवासी महिलाओं के साथ पुलिस द्वारा दुराचार करने,
(2) श्री पारस दादा सकलेचा, सदस्य की भोपाल के वार्ड क्र. 49 में सीवेज लाईन, न होने से गंदगी फैलने,
(3) श्री विश्वास सारंग, सदस्य की भोपाल के नरेला क्षेत्र में सड़कों पर गढ्ढे होने तथा सीवर लाईन न होने,
(4) श्री हेमराज कल्पोनी, सदस्य कीराजगढ़ विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में विद्युत तारों के टूटने,
(5) श्री मोतीलाल तिवारी, सदस्य की मैहर स्थित माध्यमिक स्कूल गोबरी का हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
(6) श्री प्रेमनारायण ठाकुर, सदस्य की छिन्दवाड़ा में रसोई गैस की आपूर्ति बढ़ाई जाने,
(7) श्रीमती नीता पटैरिया, सदस्य की सिवनी जिला चिकित्सालय में पदस्थ नर्सो को वेतन न मिलने,
(8) श्रीमती साधना स्थापक, सदस्य की भोपाल के स्कूलों में अतिशेष शिक्षकों की सूची में अनियमितता होने,
(9) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य की बड़वाह के सनावद स्थित सूत मिल लीज पर दिये जाने,
(10) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड के लहार ग्राम भटपुरा के व्यक्ति को पुलिस द्वारा न खोजे जाने,
(11) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य), सदस्य की इंदौर के बाणगंगा रेल्वे ब्रिज का निर्माण शीघ्र किये जाने,
(12) श्री देवेन्द्र पटेल,सदस्य की रायसेन के बेगमगंज में ठेकेदार द्वारा वाहन विराम नाका लगाकर शुल्क वसूलने,
(13) श्री चम्मपालाल देवड़ा, सदस्य की भोपाल के ग्राम बरखेड़ानाथू में वृक्षारोपण नष्ट कर खेती की जाने,
(14) श्री ध्रुवनारायण सिंह, सदस्य की भोपाल की सड़कों की जर्जर हालत होने,
(15) श्री ब्रजमोहन धूत, सदस्य की देवास जिले में बगैर मान्यता लिये स्कूल चलाये जाने,
(16) श्री विश्वेश्वर भगत, सदस्य की लामरा शासकीय काष्टागार से बांस चोरी होने,
(17) श्री लखन घनघोरिया, सदस्य की प्रदेश में मध्यप्रदेश विद्युत मंडल को समाप्त करने,
(18) श्री भगवान सिंह राजपूत, सदस्य की रायसेन जिले के गुम हुए नाबालिग बच्चों का पता न चलने,
(19) श्री सुखदेव पांसे, सदस्य की बैतूल की मुलताई तहसील के दुनावा डेम का कार्य धीमी गति से चलने,
(20) श्री दिलीप सिंह गुर्जर,सदस्य की नागदा-खाचरोद के शा. महिला चिकित्सालय में चिकित्सक के पद रिक्त होने,
(21) श्री गिरिजाशंकर शर्मा, सदस्य की होशंगाबाद में हाई स्कूल, हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में अधिक शुल्क लेने,
(22) श्री जेवियर मेड़ा, सदस्य की विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के परीक्षा परिणाम समय पर न आने,
(23) श्री ब्रजराज सिंह, सदस्य की श्योपुर के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में विद्युत कटौती होने तथा
(24) श्री पांचीलाल मेड़ा, सदस्य की इन्दौर जिले में अवैध उत्खनन किये जाने

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई।

4. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से सूचित किया गया कि आज की कार्य सूची में 61 ध्यान आकर्षण सूचनाओं को उनके विषय की गंभीरता और महत्व को देखते हुए सम्मिलित किया गया है। विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमशः प्रथम 10 ध्यान आकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़ी जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार एक-एक प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। उपस्थित सदस्यों की सूचनाओं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

(1) चौधरी मेर सिंह, श्री प्रेमनारायण ठाकुर एवं श्री दीपक सक्सेना, सदस्यगण ने छिंदवाड़ा जिले की पेंच परियोजना के निर्माण कार्य में अनियमितता होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

(2) श्री के.पी.सिंह "कक्काजू", सदस्य ने शिवपुरी जिले के ग्राम घटवरा में दलित के साथ मारपीट के आरोपियों को गिरफ्तार न किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री नारायण सिंह कुशवाह, राज्यमंत्री, गृह ने इस पर वक्तव्य दिया।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(3) श्री अरूणोदय चौबे, डॉ. कल्पना परूलेकर, श्री गोविन्द सिंह राजपूत एवं डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्यगण ने सागर जिले के ग्राम पंचायत मालथौन के सचिव द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) सर्वश्री केदारनाथ शुक्ल एवं कुंवर सिंह टेकाम, सदस्यगण ने अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा द्वारा सेमेस्टर प्रणाली की परीक्षाएं सही समय पर संचालित न किये जाने की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(5) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य ने टीकमगढ़ जिले में आपराधिक घटनाएं घटित होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री नारायण सिंह कुशवाह, राज्यमंत्री, गृह ने इस पर वक्तव्य दिया।

(6) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, नेता प्रतिपक्ष एवं श्री अभय कुमार मिश्रा, सदस्यगण ने लोक निर्माण विभाग द्वारा फर्जी जाति प्रमाण पत्र के माध्यम से सेवा कर रहे अधिकारी पर कार्यवाही न किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(7) सर्वश्री अजय सिह, पारस दादा सकलेचा, प्रताप ग्रेवाल, यशपाल सिंह सिसोदिया एवं प्रद्युम्न सिंह तोमर, सदस्यगण ने प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में व अस्पताल में गरीब मरीजों पर ड्रग ट्रायल किये जाने की ओर राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का ध्यान आकर्षित किया।

श्री महेन्द्र हार्डिया, राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने इस पर वक्तव्य दिया।

(8) श्रीमती नीता पटेरिया एवं श्रीमती शशि ठाकुर, सदस्यगण ने सिवनी जिला मुख्यालय स्थित उप पंजीयक कार्यालय में आग लगने से उत्पन्न स्थिति की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. सदन के समय में वृद्धि

अध्यक्ष महोदय द्वारा सूचित किया गया कि आज भोजनावकाश स्थगित कर कार्यसूची में उल्लिखित कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की गई है।

सदन द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

(9) श्री एदल सिंह कंसाना, डॉ. गोविन्द सिंह एवं रामनिवास रावत, सदस्यगण ने ग्वालियर के गोला मंदिर पुलिस द्वारा दहेज हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार न किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री नारायण सिंह कुशवाह, राज्यमंत्री, गृह ने इस पर वक्तव्य दिया।

(10) डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्य ने उद्यानिकी विभाग में स्टाफ की कमी से उत्पन्न स्थिति की ओर उद्यानिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अजय विश्नोई, पशुपालन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, कार्यसूची के पद 2 के उपपद (11) से (61) तक के सदस्यों की निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्रीगण द्वारा वक्तव्य पढ़े माने गए -

(11) श्री तुलसीराम सिलावट, सदस्य की इंदौर-उज्जैन फोरलेन हाइवे पर टोल नाके के स्थान परिवर्तन से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य।

(12) सर्वश्री मदन कुशवाह, रामलखन सिंह एवं डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्यगण की ग्वालियर जिले के बेलागांव में गोली चालन की घटना से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(13) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष की प्रदेश की अनेक मंडियों में गेहूँ रखने की व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा राज्य मंत्री खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का वक्तव्य।

(14) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की सीहोर जिले के रातापानी सेंचुरी में वनों की अवैध कटाई होने संबंधी सूचना तथा वन मंत्री का वक्तव्य।

(15) सर्वश्री देवेन्द्र वर्मा एवं राजेश वर्मा, सदस्यगण की खंडवा जिले में सोयाबीन बीज गुणवत्ताहीन एवं निर्धारित दर से अधिक दर पर कृषकों को विक्रय किये जाने संबंधी सूचना तथा किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का वक्तव्य।

(16) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सदस्य की ग्वालियर शहर की कालोनियों में मूलभूत सुविधाएं न होने संबंधी सूचना तथा आवास मंत्री का वक्तव्य।

(17) श्री सुदामा सिंह सिंग्राम, सदस्य की अनूपपुर जिले के गिरवी बांध से निकाले गये पत्थर कृषकों की भूमि में रखने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य।

(18) श्री ताराचंद बावरिया, सदस्य की छिंदवाड़ा जिले के परासिया में बम विस्फोट की घटनाएं होने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(19) श्री के.पी.सिंह "कक्काजू", सदस्य की प्रदेश में लायसेंस ड्रायविंग परमिट कार्ड को बनाने वाली कम्पनी द्वारा अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा परिवहन मंत्री का वक्तव्य।

(20) श्री ध्रुवनारायण सिंह, सदस्य की भोपाल स्थित महाविद्यालयों में प्रवेश देने में अनियमितता होने संबंधी सूचना तथा उच्च शिक्षा मंत्री का वक्तव्य।

(21) श्री आरिफ अकील, सदस्य की प्रदेश में मदरसा बोर्ड के छात्रों को छात्रवृत्ति न मिलने संबंधी सूचना तथा स्कूल शिक्षा मंत्री का वक्तव्य।

(22) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की टीकमगढ़ जिले में मनरेगा कार्य अंतर्गत मशीनों से कार्य कराये जाने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य।

(23) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष की खंडवा जिले के रेवा थर्मल प्लांट द्वारा मुआवजा वितरण में अनुबंध शर्तो का पालन न किये जाने संबंधी सूचना तथा मुख्य मंत्री का वक्तव्य।

(24) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष, डॉ.गोविन्द सिंह एवं श्री रामनिवास रावत, सदस्यगण की ग्वालियर नगर के विक्टोरिया मार्केट के अग्नि पीड़ित व्यापारियों को मुआवजा राशि न दिये जाने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य।

(25) श्री आरिफ अकील एवं डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्यगण की प्रदेश में कृषकों के द्वारा विक्रय किये गये बीज की राशि का भुगतान बीज निगम द्वारा न किये जाने संबंधी सूचना तथा किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का वक्तव्य।

(26) श्रीमती साधना स्थापक, सदस्य की नरसिंहपुर जिले में गाडरवारा विपणन सहकारी समिति द्वारा कृषक के उपज का भुगतान न किये जाने संबंधी सूचना तथा सहकारिता मंत्री का वक्तव्य।

(27) डॉ. गोविन्द सिंह एवं श्री रामनिवास रावत, सदस्यगण, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष की बैतूल जिले में वनों की अवैध कटाई होने संबंधी सूचना तथा वन मंत्री का वक्तव्य।

(28) श्री आरिफ अकील, डॉ. गोविन्द सिंह एवं श्री रामनिवास रावत, सदस्यगण की उज्जैन की कृषि उपज मंडी में टैक्स की चोरी होने संबंधी सूचना तथा किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का वक्तव्य।

(29) श्री पांचीलाल मेड़ा, सदस्य की जबलपुर एवं कटनी जिले में खनिज कार्य में लगे श्रमिकों की सुरक्षा व्यवस्था न होने संबंधी सूचना तथा श्रम मंत्री का वक्तव्य।

(30) श्री रामलखन सिंह, सदस्य की प्रदेश के अजाक थानो में पुलिस बल की कमी से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(31) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल नगर निगम द्वारा वाहन के नाम पर भ्रष्टाचार किये जाने संबंधी सूचना तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का वक्तव्य।

(32) सर्वश्री अजय सिंह एवं पांचीलाल मेड़ा, सदस्यगण की मंडला जिले के सूरजपुरा के पास हाईटेंशन विद्युत लाईन से बस टकराने से कई बारातियों की मौत होने संबंधी सूचना तथा राज्य मंत्री ऊर्जा का वक्तव्य।

(33) श्री मोती कश्यप, सदस्य की कटनी जिले की अनेक तहसीलों में कृषकों को ऋण पुस्तिका न मिलने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य।

(34) श्री अजय सिंह, सदस्य की सीधी जिले के ग्राम लोहझर में आदिवासी महिलाओं के साथ पुलिस कर्मियों के द्वारा दुराचार किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(35) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य की राजगढ़ जिले के खिलचीपुर एवं जीरापुर तहसील में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में कार्यरत श्रमिकों को भुगतान न होने संबंधी सूचना तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य।

(36) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले की नगर पंचायत दबोह द्वारा नियम विरूद्ध कार्य कर अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का वक्तव्य।

(37) श्री पांचीलाल मेड़ा, सदस्य की इंदौर शहर में मिलावटी खाद्य वस्तुओं की बिक्री होने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का वक्तव्य।

(38) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की सागर जिले के नरयावली क्षेत्र के सिदगुवां में स्थापित औद्योगिक इकाई बंद होने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री का वक्तव्य।

(39) श्री बृजमोहन धूत, सदस्य की देवास जिले के नेमावर क्षेत्र के पास स्वीकृत क्षेत्रफल से अधिक की रेत की निकासी होने संबंधी सूचना तथा राज्य मंत्री खनिज साधन का वक्तव्य।

(40) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य की इंदौर स्थित गंदी बस्ती कालोनियों में विद्युत व्यवस्था न होने संबंधी सूचना तथा राज्य मंत्री ऊर्जा का वक्तव्य।

(41) श्री दीपक कैलाश जोशी, सदस्य की भोपाल में विद्यालयीन व्याख्याताओं को अतिशेष घोषित किये जाने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा स्कूल शिक्षा मंत्री का वक्तव्य।

(42) श्री आरिफ अकील एवं डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्यगण की रीवा जिले के ग्राम कचूर में हो रही ब्लास्टिंग से प्रदूषण होने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा पर्यावरण मंत्री का वक्तव्य।

(43) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष तथा सर्वश्री यादवेन्द्र सिंह एवं प्रेमनारायण ठाकुर, सदस्यगण की भिण्ड एवं टीकमगढ़ जिले में ऋण माफी योजना का लाभ अपात्र लोगों को दिये जाने संबंधी सूचना तथा सहकारिता मंत्री का वक्तव्य।

(44) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, सदस्य की बालाघाट जिले के किरनापुर लांजी बाघ मार्ग की जर्जर हालत होने संबंधी सूचना तथा लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य।

(45) श्रीमती साधना स्थापक, सदस्य की नरसिंहपुर जिले के ग्राम साईखेड़ा में अतिक्रमण हटाने के दौरान एक युवक को प्रताड़ित किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(46) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य की जावरा के ग्राम भुतेड़ा में अनुसूचित जाति की महिला का मकान तोड़े जाने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य।

(47) सर्वश्री मूल सिंह, शिव नारायण मीना एवं डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्यगण की गुना जिले में निर्दोश लोगों पर पुलिस द्वारा कार्यवाही किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(48) श्री सुरेश चौधरी, सदस्य की मुरैना जिले में स्वास्थ्य सुविधा का अभाव होने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का वक्तव्य।

(49) श्री पुरूषोत्तम दांगी, सदस्य की राजगढ़ जिले के ब्यावरा क्षेत्र में घटिया बीज का वितरण किये जाने संबंधी सूचना तथा किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का वक्तव्य।

(50) श्री ज्ञान सिंह, सदस्य की उमरिया जिले के ग्राम चिरहुला में आदिवासियों के साथ वनकर्मियों द्वारा मारपीट किये जाने संबंधी सूचना तथा वन मंत्री का वक्तव्य।

(51) सर्वश्री रामलाल मालवीय, अरूणोदय चौबे एवं सुरेश चौधरी, सदस्यगण की उज्जैन के राजनैतिक पार्टी के शहर अध्यक्ष के खिलाफ समाचार के आधार पर रिपोर्ट दर्ज किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(52) श्री संतोष जोशी, सदस्य की शाजापुर जिले के सुसनेर क्षेत्र में संतरे की खेती प्राकृतिक आपदा से नष्ट होने संबंधी सूचना तथा उद्यानिकी मंत्री का वक्तव्य।

(53) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष की झाबुआ में पदस्थ सहायक आबकारी आयुक्त पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र पाये जाने के बावजूद कार्यवाही न किये जाने संबंधी सूचना तथा वाणिज्यिक कर मंत्री का वक्तव्य।

(54) श्री सुखदेव पांसे, सदस्य की बैतूल जिले के ग्राम मंगौना खुर्द में विद्युत लाईन के तार टूटने से करंट लगने से मौत होने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री ऊर्जा का वक्तव्य।

(55) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष की जबलपुर में उद्यानिकी विभाग के दोषियों पर कार्यवाही न होने संबंधी सूचना तथा उद्यानिकी मंत्री का वक्तव्य।

(56) श्री प्रेमनारायण ठाकुर, सदस्य की प्रदेश के आदिवासी छात्रावासों में निचली कक्षाओं के छात्रों को प्रवेश न दिये जाने संबंधी सूचना तथा आदिम जाति कल्याण मंत्री का वक्तव्य।

(57) सर्वश्री पारस सकलेचा एवं पांचीलाल मेड़ा, सदस्यगण की उज्जैन संभाग सहित प्रदेश के अनेक जिलो में नकली दवाओं का कारोबार होने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का वक्तव्य।

(58) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की मुरैना जिलाध्यक्ष कार्यालय में ज्ञापन देते समय लोगों के साथ पुलिस द्वारा मारपीट किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(59) राव देशराज सिंह यादव, सदस्य की अशोक नगर जिले में पुलिस द्वारा अपराधियों की बजाय निर्दोषों पर प्रकरण दर्ज किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(60) सर्वश्री राव देशराज सिंह यादव एवं रामनिवास रावत, सदस्यगण की ईशागढ़ चंदेरी मार्ग पर बस यात्रियों के साथ लूटपाट होने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(61) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर जिले में विद्युत आपूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री ऊर्जा का वक्तव्य।

6. नियम-228 के अंतर्गत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री गिरीश गौतम, सदस्य ने मध्यप्रदेश विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम-228 के अंतर्गत प्रस्ताव किया कि –

1. सर्वश्री विश्वास सारंग, आरिफ अकील, रामनिवास रावत, लखन घनघोरिया, रत्नेश सॉलोमन, ध्रुवनारायण सिंह, हेमराज कल्पोनी, जितेन्द्र डागा, डॉ. कल्पना परूलेकर एवं डॉ. निशिथ पटेल, सदस्यगण एवं श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री विधान सभा द्वारा दैनिक समाचार पत्र "राज एक्सप्रेस" के संपादक एवं संवाददाता श्री रवीन्द्र जैन के विरूद्ध,

2. श्रीमती ललिता यादव, सदस्य विधान सभा द्वारा श्री पांचीलाल मेड़ा, सदस्य विधान सभा के विरूद्ध,

3. सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत श्री रवीन्द्र जैन, संवाददाता "राज एक्सप्रेस" द्वारा विधान सभा एवं माननीय सदस्यों के संबंध में मांगी गई विभिन्न जानकारियों के परिप्रेक्ष्य में विशेषाधिकार समिति को संदर्भित प्रकरणों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7. नियम 239 के अंतर्गत सदन को सूचना

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि निम्नांकित विशेषाधिकार भंग की सूचनायें विचाराधीन हैः-

(1) श्री राजेन्द्र सिंह सलूजा, सदस्य विधान सभा द्वारा श्रीमती लेखा तिवारी, चिकित्सक शासकीय जिला चिकित्सालय गुना के विरूद्ध।

(2) श्री नागर सिंह चौहान, सदस्य विधान सभा द्वारा श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, अलीराजपुर के विरूद्ध।

(3) श्री नारायण प्रजापति, सदस्य विधान सभा द्वारा कतिपय व्यक्तियों के विरूद्ध।

(4) श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार, सदस्य विधान सभा द्वारा श्री आर.के. सेन (डी.एस.पी.) के विरूद्ध।

(5) डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्य विधान सभा द्वारा अपमानजनक भाषण प्रसारित करने के संबंध में "सिटी केबल उज्जैन" के विरूद्ध ।

(6) श्री रामप्यारे कुलस्ते, सदस्य विधान सभा द्वारा एक अधिकारी के विरूद्ध।

(7) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य विधान सभा द्वारा नगर निरीक्षक थाना लहार जिला-भिण्ड के श्री इन्द्रवीर सिंह चौहान के विरूद्ध।

(8) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य विधान सभा द्वारा उन्हें अपमानित करने के संबंध में श्री बी.जी. अहिरवार, प्राचार्य, शासकीय उत्कृष्ट उ.मा. वि. नौगांव, जिला-छतरपुर के विरूद्ध।

(9) श्री पुरूषोत्तम दांगी, सदस्य विधान सभा द्वारा माननीय सदस्य का नाम आमंत्रण पत्र में न छापने के संबंध में नेताजी सुभाषचंद्र बोस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ब्यावरा के संस्था प्रमुख एवं प्राचार्य, श्री व्ही.के. जैन के विरूद्ध।

(10) श्री संजय पाठक, सदस्य विधान सभा द्वारा उन्हें लोकार्पण कार्यक्रम में आमंत्रित न करने के संबंध में संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध तथा

(11) श्री बाबूलाल वर्मा, श्री भगत सिंह नेताम, श्री माखनलाल राठौर, श्री रामकिशोर (नानो) कांवरे, श्री दिलीप जायसवाल एवं विजयपाल सिंह सदस्य विधान सभा द्वारा कांग्रेस पक्ष के कतिपय सदस्यों के विरूद्ध।

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री राजकुमार उरमलिया, सदस्य की रीवा जिले के -
- (क) विकासखण्ड-सिरमौर की शासकीय माध्यमिक शालाओं को हाई स्कूलों में उन्नयन किये जाने, तथा
- (ख) विकासखण्ड-सिरमौर के ग्राम-अतरैला में शासकीय महाविद्यालय खोले जाने,

(2) श्री ताराचंद बावरिया, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले के -
- (क) विकासखण्ड-परासिया के तीतरा डुगरिया के पास घटामाली नदी पर पुल निर्माण किये जाने,
- (ख) तहसील मुख्यालय उमरेठ में महाविद्यालय खोले जाने, तथा
- (ग) विकाखखण्ड-परासिया के ग्राम-बारंगा सहवानी में हायर सेकेण्ड्री स्कूल खोले जाने,

(3) श्री माखनलाल राठौर, सदस्य की शिवपुरी के -
- (क) शहर के वार्ड नंबर 16 में सी.सी. रोड निर्माण किये जाने, तथा
- (ख) शहर के शासकीय माध्यमिक विद्यालय, ठकुरपुरा में बाउण्ड्रीवाल निर्माण किये जाने,

(4) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य की रतलाम जिले के -

(क) जावरा शहर से बाहर बाय-पास रोड बनाये जाने,
(ख) जावरा शहर की सड़कों की मरम्मत किये जाने, तथा
(ग) जावरा शहर के बीच रेल्वे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनाये जाने,

(5) श्री हेमराज कल्पोनी, सदस्य की राजगढ़ जिले के -

(क) ग्राम पंचायत-देवलीकला में नल जल योजना स्वीकृत किये जाने,
(ख) ग्राम पंचायत-सडियाकुंआ में नलजल योजना स्वीकृत किये जाने,
(ग) ग्राम-टोडरी में एक नलकूप खनन किये जाने, तथा
(घ) ग्राम पंचायत-कोलुखेड़ा में नलजल योजना स्वीकृत किये जाने,

(6) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य की टीकमगढ़ जिले के -

(क) विकासखण्ड पृथ्वीपुर के मोहनगढ़ मुख्यमार्ग से खिरक तक पक्की रोड तथा नाली निर्माण किये जाने,
(ख) विकासखण्ड पृथ्वीपुर के नंदवारा तालाब से जीरोन तक पक्की नहर बनाये जाने,
(ग) विकासखण्ड पृथ्वीपुर के ग्राम लुहर गुवां से खाखरौन के बीच नदी पर रपटा बनाये जाने,
(घ) विकासखण्ड पृथ्वीपुर के ग्राम पहाड़ी बक्सी से वेरवाखिरक तक पक्का मार्ग बनाये जाने,
(ङ) विकासखण्ड पृथ्वीपुर के ग्राम कसेला से विरोरा पहाड़ तक के मार्ग का डामरीकरण किये जाने,
(च) विकासखण्ड पृथ्वीपुर के ग्राम पुही से चन्दोखा तक पक्की सड़क बनाये जाने,
(छ) विकासखण्ड पृथ्वीपुर के ग्राम पंचायत दिगौड़ा में महाविद्यालय खोले जाने, तथा
(ज) विकासखण्ड पृथ्वीपुर के ग्राम मोहनगढ़ में महाविद्यालय खोले जाने,

(7) श्री मोतीलाल तिवारी, सदस्य की सतना जिले के -

(क) तहसाल मैहर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय घोषित किये जाने,
(ख) तहसील मैहर वार्ड क्रमांक-9 में स्थित शमशानघाट की बाउण्ड्रीवाल बनाये जाने,
(ग) तहसील मैहर के ग्राम भड़ई एवं भटिगवां की पूर्व मा. शाला को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
(घ) तहसील मैहर के एस.डी.ओ.पी. के बंगले से दक्षिण दरवाजा तक सड़क निर्माण किये जाने,
(ङ) तहसील मैहर की शासकीय कन्या प्राथमिक शाला को माध्यमिक शाला में उन्नयन किये जाने,
(च) तहसील मैहर की शासकीय कन्या माध्यमिक शाला घुनवारा को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
(छ) तहसील मैहर के ग्राम बेमरा से कुदरा खोह तक पहुंच मार्ग निर्माण किये जाने,
(ज) तहसील मैहर के ग्राम तिघराकला में आंगनवाड़ी केन्द्र खोले जाने,
(झ) तहसील मैहर के ग्राम कटिया के तालाब का विस्तारीकरण किये जाने,
(ञ) तहसील मैहर के ग्राम मतवारा से ममरहा तक पहुँच मार्ग बनाये जाने,
(ट) तहसील मैहर के ग्राम पाता की पूर्व माध्यमिक शाला में बाउण्ड्रीवाल बनाये जाने,
(ठ) तहसील मैहर के ग्राम घुनवारा से मनौरा तक पहुंच मार्ग बनाये जाने, तथा
(ड़) तहसील मैहर के ग्राम हरनामपुर की पूर्व माध्यमिक शाला की बाउण्ड्रीवाल बनाये जाने,

(8) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, सदस्य की देवास के वार्ड क्रमांक 20 में मुख्य मार्ग से टी.बी. अस्पताल तक सड़क निर्माण किये जाने तथा

(9) श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य की रीवा जिले की तहसील मऊगंज के ग्राम हड़िया के वार्ड क्रमांक 1 व 2 को ग्राम डिलहा में तेदुआ देवतालाब पहुँच मार्ग से जोड़ने,
संबंधी याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गई।

9. अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि मंत्री जी द्वारा मध्यप्रदेश कपास बीज (पूर्ति, वितरण एवं विक्रय का विनियमन तथा विक्रय मूल्य का निर्धारण) विधेयक, 2010 पर सदन में विचार किया जा रहा है किन्तु इस विधेयक में बीज निरीक्षकों एवं बीज विश्लेषकों की नियुक्ति हेतु राजकोष से व्यय की व्यवस्था होने के कारण वित्तीय ज्ञापन आवश्यक है। अतः इस विधेयक को वित्तीय ज्ञापन के साथ पुनः प्रस्तुत करने संबंधी निर्देश दिये जाये।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि चूंकि संबंधित अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर लिये गये है, अलग से कोई व्यय नहीं है जिसके बारे में माननीय मंत्री उत्तर में जानकारी देंगे। अतः डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री को विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश कपास बीज (पूर्ति, वितरण एवं विक्रय का विनियमन तथा विक्रय मूल्य का निर्धारण) विधेयक, 2010 (क्रमांक 22 सन् 2010) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री बाला बच्चन
(2) श्री पारस दादा सकलेचा
(3) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 से 22 विधेयक के अंग बने।
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश कपास बीज (पूर्ति, वितरण एवं विक्रय का विनियमन तथा विक्रय मूल्य का निर्धारण) विधेयक, 2010 (क्रमांक 22 सन् 2010) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(2) श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक, 2010 (क्रमांक 23 सन् 2010) पर विचार किया जाय।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री रामनिवास रावत
(2) श्री विश्वास सारंग

11. अध्यक्षीय व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय द्वारा सूचित किया गया कि मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 23 के अनुसार शुक्रवार की बैठक के अंतिम ढाई घण्टे गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिये नियत है। अतः आज की कार्य सूची में उल्लिखित पद 5 के उप पद (2) में उल्लिखित कार्य पूर्ण होने के पश्चात् निर्धारित समय के लिए गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य लिये जायेगे।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

12. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

(3) श्री मदन कुशवाह

सभापति महोदय (श्री रामलखन सिंह) पीठासीन हुए।

(4) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा
(5) श्री पारस दादा सकलेचा
(6) श्री ब्रजमोहन धूत
(7) श्री यादवेन्द्र सिंह
(8) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

(9) राव देशराज सिंह यादव
(10) श्री रामलखन सिंह
(11) श्री सुदर्शन गुप्ता
(12) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 से 11 विधेयक के अंग बने।
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक, 2010 (क्रमांक 23 सन् 2010) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ

13. अशासकीय संकल्प

(1) श्री बृजमोहन धूत, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि :- "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि महाकाल नगरी उज्जैन से काशी विश्वनाथ जाने हेतु वाराणसी के लिये व्हाया भोपाल ट्रेन चलाई जावे." तथा चर्चा में भाग लिया।

श्री नारायण सिंह कुशवाह, राज्यमंत्री, गृह ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

(2) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य का संकल्प - "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि इंदौर-दाहोद स्वीकृत रेल लाईन का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाय.". उनकी अनुपस्थितिवश प्रस्तुत नहीं किया गया।

(3) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष ने संकल्प प्रस्तुत किया कि :- "सदन का यह मत है कि प्रदेश के मूल निवासियों के अतिरिक्त यदि किसी अन्य प्रदेश के मूल निवासियों द्वारा प्रदेश में आकर कृषि प्रयोजन के लिये जमीन क्रय किये जाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाय.".

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष
(2) श्री प्रेमनारायण ठाकुर
(3) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति
(4) राव देशराज सिंह यादव
(5) श्री रामनिवास रावत
(6) श्री मदन कुशवाह

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प वापस हुआ।

(4) श्री आरिफ अकील, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि :- "सदन का यह मत है कि भोपाल सहित प्रदेश में जो शराब की दुकानें धार्मिक स्थलों के पास संचालित हो रही हैं, उनके विरूद्ध कार्यवाही कर 500-1000 मीटर की दूरी पर स्थानांतरित किया जाय.".

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री आरिफ अकील
(2) श्री प्रेमनारायण ठाकुर
(3) श्री रामनिवास रावत
(4) श्री रामलखन सिंह

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

14. सत्र का समापन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सत्र समापन के अवसर पर, निम्नानुसार उद्‌गार व्यक्त किये गये :-

तेरहवीं विधान सभा का यह पावस सत्र अब समाप्ति की ओर है। बारह दिवसीय इस सत्र में दस बैठकें हुई और अनेक लोक महत्व के तथा विधायी और वित्तीय कार्य संपन्न हुए।

इस सत्र में सदन ने वर्ष 2010–2011 के प्रथम अनुपूरक को अपनी स्वीकृति प्रदान की तथा 08 शासकीय विधेयक पारित किए।

इस सत्र में कुल 3058 प्रश्न प्राप्त हुए जिनमें से 1840 तारांकित एवं 1218 अतारांकित प्रश्न थे। ध्यानाकर्षण की कुल 651 सूचनाएं प्राप्त हुईं। इस सदन में 2 स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा हुई और नियम 139 के तहत एक अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा की गई। सदन ने 3 अशासकीय संकल्प पारित किए। कुल 125 याचिकाएँ प्रस्तुत हुईं। सदन में अनेक सभा समितियों के प्रतिवेदन भी प्रस्तुत हुए।

हमने जनता के कल्याण के लिए संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है और जनता के प्रतिनिधि के रूप में हम विधायी सदनों के सदस्य बनते हैं। जन प्रतिनिधि के रूप में जनता की समस्याओं को लेकर हमारा उद्वेलित होना स्वाभाविक है लेकिन सदन का सदस्य होने के नाते हम पर नियम और मर्यादाएं भी लागू होती हैं जिनका पालन करना अपेक्षित होता है। यदि हम इनका उल्लंघन करते हैं तो विधायिका कमजोर होती है। सदन और आसंदी की गरिमा बनाए रखने का दायित्व स्वयं सदस्यों का है। इस विधान सभा का स्वर्णिम इतिहास है और अतीत उपलब्धियों से भरा हुआ है। अतः हमारा कार्य, व्यवहार और आचरण बहुत संयमित तथा मर्यादित होना चाहिए ताकि हमारे उत्तराधिकारी भविष्य में हमारे वर्तमान कालखण्ड की कार्यप्रणाली का उदाहरण दे सकें और गर्व कर सकें। जन आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम यह सदन है, इसके नियमों में विभिन्न प्रावधान हैं जिनके माध्यम से इन आकांक्षाओं की पूर्ति की जा सकती है। यदि माननीय सदस्य जागरूक होकर इसका सदन में लाभ उठाते हैं तो क्षेत्र की समस्याओं का निदान होगा तथा जन कल्याण के कार्य पूर्ण होंगे।

इस सत्र के सफल संचालन में मुझे सदन के नेता, उप नेता प्रतिपक्ष, उपाध्यक्ष और सभी सदस्यों का जो सहयोग मिला उसके लिए मैं उनका हृदय से आभारी हूं।

मैं इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया से जुड़े सभी महानुभावों को भी धन्यवाद देता हूँ जिनके जरिए पल–प्रतिपल की कार्यवाही और जानकारी आम लोगों तक पहुँची।

मैं विधान सभा सचिवालय और शासन के अधिकारियों तथा कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों को भी उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ।

अगले सत्र में हम सब पुनः समवेत होंगे।

अंत में, मैं अपनी और पूरे सदन की ओर से प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन पर्व की बहुत–बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। धन्यवाद।

श्री शिवराज सिंह चौहान, माननीय मुख्यमंत्री, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष, डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री, श्री हरवंश सिंह, उपाध्यक्ष महोदय, सर्वश्री रामलखन सिंह तथा पारस दादा सखलेचा सदस्यगण ने भी समापन अवसर पर विचार व्यक्त किए।

15. राष्ट्रगान

सदन में माननीय सदस्यगण द्वारा खड़े होकर राष्ट्रगान 'जन-गण-मन' का समूह गान किया गया।

अपराह्न 5.41 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई।

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 30 जुलाई, 2010